

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक-9.5.2016

संख्या- 1/प्रशि० निजी 27/15 श्र०सं० 07...../ श्री रवीन्द्र प्रसाद, प्राचार्य,  
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैमूर, भभुआ को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 में निहित  
प्रावधान के तहत दिनांक 13.4.15 से 11.5.15 तक कुल 29 दिनों (बिहार सेवा संहिता के  
नियम 232 में निहित प्रावधान के तहत 58 दिन के बदले) की रूपान्तरित छुट्टी की स्वीकृति  
दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(Handwritten Signature)*  
9.5.16

(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/प्रशि० निजी 27/15 श्र०सं० 07...../ पटना, दिनांक-9.5.2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में  
प्रकाशनार्थ/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/  
कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
बिहार, पटना/श्री रवीन्द्र प्रसाद, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैमूर,  
भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*  
9.5.16

सरकार के अपर सचिव।

*(Handwritten Signature)*  
9/5/16